

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव
/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-15 के अन्तर्गत
सौरा-सारी-सिल्ला से पिलंग मोटर मार्ग (8.50किमी0)
के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (कुल वन
भूमि 6.740है0)

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि
और उसके आस-पास के वनों की - संलग्न है।
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

ग) परियोजना की लागत। - रु० 510.00 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने - ग्राम- पिलंग को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु मार्ग
का औचित्य। निर्माण का अन्य विकल्प न होना।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये - संलग्न है।
जाने के लिए)

च) रोजगार जिनके पैदा होने की - लगभग 60,000 मानव दिवस
संभावना है।

कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार - 6.740है0 आरक्षित/सिविल सोयम वन भूमि

2. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का - मोटर मार्ग निर्माण से कोई परिवार विस्थापित
विवरण, यदि कोई है नहीं होगा।

क) परिवारों की संख्या - लागू नहीं।

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के - लागू नहीं।
परिवारों की संख्या

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) - लागू नहीं।

3. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 - हां
के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हां/नहीं)
4. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके - संलग्न है।
अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक
वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य
सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के
अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र
आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता
(वचनबद्धता संलग्न की जाये)
5. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण- विषय सूची में उल्लिखित प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या
पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा। वार संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान-उत्तरकाशी


(इं० राजीव गोस्वामी)
अधिकासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०सि०ख०
उत्तरकाशी

प्रस्ताव की कम संख्या.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7 परियोजना/स्कीम का स्थान :

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-15 के अन्तर्गत सौरा-सारी-सिल्ला से पिलंग मोटर मार्ग (8.50किमी0) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्त प्रस्ताव। (कुल वन भूमि 6.740है0)
- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र - उत्तराखण्ड राज्य
- ii) जिला - उत्तरकाशी
- iii) वन प्रभाग - उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी
- iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन - आरक्षित वन भूमि 4.900 है0 व सिविल सोयम 0.700है0, डम्पिंग हेतु भूमि 1.140कुल 6.740है0 वन भूमि प्रयोग की जायेगी
- v) वन की कानूनी स्थिति - कुल 6.740है0 आरक्षित/सिविल सोयम
- i) हरियाली का घनत्व - 0.4
- ii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि - चीड जाति (वैज्ञानिक नाम) पाइनस रोक्सवरथाई
- iii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। - भूक्षरण के लिए संवेदनशीलता नहीं है।
- iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी - वन सीमा के अन्दर है।
- v) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य - नहीं जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए)
- vi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ - नहीं /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।
- vii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/- नहीं
- viii) रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या

- 8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित - प्रस्तावित 6.740है0 वन भूमि न्यूनतम वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। एवं अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।

- 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। - नहीं

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

- | | | | |
|-----|---|---|------------|
| i. | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। | - | संलग्न है। |
| ii. | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। | - | संलग्न है। |
| iii | रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। | - | संलग्न है। |
| iv | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। | - | संलग्न है। |
| v | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। | - | संलग्न है। |

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

- | | | | |
|------|--|---|--------------------------------|
| 12- | प्रभाग/जिला प्रोफाइल | - | उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी |
| i. | जिला का भौगोलिक क्षेत्र। | - | 80,1600 है० |
| ii. | जिला का वन क्षेत्र। | - | 695783.35 है० |
| iii. | मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। | - | 356 मामले तथा 1208.4157 है० |
| iv. | 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल - प्रतिकूल वनीकरण | | |
| (क) | दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि | | रिक्त |
| (ख) | वनेत्तर भूमि पर अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति | | 487.50 है० |
| (क) | वन भूमि पर | | रिक्त |
| (ख) | वनेत्तर भूमि पर | | 487.50 है० |

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने-में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

कार्यदायी संस्था द्वारा वन सम्पदा की सुरक्षा हेतु के सम समुचित प्रयास किये जायेंगे अतः जनहित में संस्तुति की जाती है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

स्थान.उत्तरकाशी

नाम
सरकारी मोहर

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
- 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षर:

तिथि.....

नाम और पदनाम

स्थान.....

सरकारी मोहर

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 18- राज्य सरकार की सिफारिश:
(उपर्युक्त भाग- II या भाग- III या
भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर